भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2229

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों का डायवर्जन

2229. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो खरीफ और रबी मौसमों के दौरान प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा यथा चिह्नित गैर-कृषि/औद्योगिक उपयोग के लिए डायवर्ट किए गए सब्सिडी वाले यूरिया और डीएपी की राज्यवार मात्रा कितनी है;

(ख) उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 का उल्लंघन करने वाले डीलरों और कंपनियों के विरुद्ध शुरू की गई विधिक कार्रवाई क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डायवर्जन को रोकने के लिए नीम-कोटिंग और बिक्री केंद्र सत्यापन प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूरे देश में आगामी बुवाई के मौसम से पहले कृत्रिम कमी और कीमतों में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए राज्यवार प्रस्तावित ठोस कदम क्या हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन और अन्य कदाचारों जैसे मामलों का समाधान करने के लिए उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों को ऐसे कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 का उल्लंघन करने वाले डीलरों और कंपनियों के खिलाफ मुकदमे शुरू किए गए। इसके अलावा, कृषि और किसान कल्याण विभाग राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया उर्वरक पाए जाने और विपथन संबंधी मामलों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा दी गई सूचनानुसार, देश में, वित्त वर्ष 2025-26 में, 4,84,663 छापे मारे गए हैं जिनमें से चूककर्ताओं के खिलाफ 17,392 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 6,941 लाइसेंस निलंबित/रद्द कर दिए गए हैं और 847

एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन कदाचारों को रोकने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 अर्थात दिनांक 01.04.2026 से 24.07.2026 तक की अवधि में 1,69,031 छापे मारे गए हैं जिनमें चूककर्ताओं के खिलाफ 9,127 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 2,868 लाइसेंस निलंबित/रद्द कर दिए गए हैं और 270 एफआईआर दर्ज की गई हैं; वित्त वर्ष 2026-27 में जब्त किए गए उर्वरकों की मात्रा के साथ प्रवर्तन कार्रवाई की राज्य-वार जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ग): वर्ष 2015 के दौरान, केंद्र सरकार ने सभी घरेलू यूरिया उत्पादकों और यूरिया आयातकों के लिए 100% नीम लेपित यूरिया की आपूर्ति करना अनिवार्य कर दिया। नीम लेपित यूरिया (एनसीयू) की शुरुआत के बाद, नीम लेपन का एक प्राथमिक लाभ यह है कि धीमी गति से रिलीज होने के कारण, सामान्य यूरिया की तुलना में एनसीयू की खपत कम हो जाती है।

उर्वरकों की बिक्री के लिए डीबीटी प्रणाली के तहत, उर्वरकों की बिक्री आधार अधिनियम, 2016 की धारा-7 के अनुसार लाभार्थी के 100% आधार आधारित प्रमाणीकरण द्वारा की जाती है। इसके अलावा, तेलंगाना, जिसके लिए प्रति खरीदार प्रति एकड़ 2 बोरी (केवल यूरिया के लिए) की और जम्मू और कश्मीर, जिसके लिए प्रति मौसम प्रति खरीदार 60 बोरी की सीमा निर्धारित की गई है, को छोड़कर उर्वरकों के एकसमान वितरण के लिए प्रति खरीदार प्रति माह 50 बोरी की मासिक सीमा तय की गई है। खरीद के आधार पर, संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा निगरानी के लिए आईएफएमएस डैशबोर्ड में विभिन्न रिपोर्टें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, 21 राज्यों के 42 चिन्हित जिलों में 'उर्वरक बिक्री की रूपरेखा' के तहत, उर्वरक को भूमि क्षेत्र और बोई गई फसल के आधार पर आवश्यकता के अनुसार पहचान किए गए किसान को ही बेचा जा रहा है। संबंधित राज्यों द्वारा तय किए गए अनुसार 'उर्वरक बिक्री की रूपरेखा' के तहत प्रायोगिक जिलों में बोरियों की उच्चतम सीमा अलग-अलग है।

(घ): देश में सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं:

I. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

II. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

III. यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) तथा उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मौसम में किए जाने वाले आयात को भी पहले से ही अंतिम रूप दे दिया जाता है।

IV. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

V. राज्यों के लिए पर्याप्त रेक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेकों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

VI. राज्य के भीतर जिला/ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2229 के उत्तर के भाग (क) और (ख) से संबंधित है।

अप्रैल 26 से जुलाई 26 (17.07.2026 के अनुसार) तक का कुल विवरण

खरीफ मौसम अप्रैल 26 से जुलाई 26 (17.07.2026 के अनुसार) तक की अवधि के दौरान कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन आदि को रोकने तथा गुणवत्ता जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

		कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन			विवरण के साथ दोषसिद्ध*	ज़ब्त किए गए सामान की मात्रा (बोरियों के रूप में)	कुल		
राज्य	निरीक्षण/ छापों की संख्या	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर			जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	5126	4	4	0	92	66	2	30	0	0	0	0	0	शून्य	0	126	70	2
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	शून्य	0	0	0	0
असम	2754	6	0	0	6	0	0	0	0	0	4	4	0	शून्य	0	16	4	0
बिहार	14139	614	604	57	1	149	15	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	615	753	72
छतीसगढ	4888	207	48	3	34	9	1	38	0	1	0	0	0	शून्य	28260	279	57	5
दादर एवं नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
दिल्ली	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
गोवा	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
गुजरात	7304	39	0	1	4	3	0	17	0	8	1	0	5	शून्य	0	61	3	14
हरियाणा	425	5	7	0	21	24	3	6	3	0	3	6	2	शून्य	0	35	40	5
हिमाचल प्रदेश	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	9065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	शून्य	1562	0	0	1
झारखंड	575	10	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	18	0	0
कर्नाटक	15192	2128	2	0	0	0	0	71	0	0	5	0	6	शून्य	4208	2204	2	6
केरल	603	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	शून्य	2202	7	0	0
मध्य प्रदेश	958	0	0	2	0	0	0	0	0	9	23	22	0	शून्य	0	23	22	11
महाराष्ट्र	38441	850	575	17	728	222	0	56	290	34	16	20	7	शून्य	0	1650	1107	58
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
मेघालय	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
मिजोरम	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
नागालैंड	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
ओडिशा	8974	0	2	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	शून्य	120	4	4	1
पुदुचेरी	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
पंजाब	1776	10	0	0	0	0	0	44	5	4	49	0	7	शून्य	0	103	5	11
राजस्थान	7428	688	17	1	130	28	3	111	0	1	167	1	5	शून्य	4288	1096	46	10
तमिलनाडु	4894	0	0	0	138	0	6	221	0	0	118	0	2	शून्य	0	477	0	8
तेलंगाना	10437	28	9	3	0	0	0	0	2	0	3	2	1	शून्य	0	31	13	4
त्रिपुरा	867	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	146	0	0
उत्तर प्रदेश	9687	927	363	25	46	58	2	87	69	5	23	58	6	शून्य	3826	1083	548	38
उत्तराखंड	343	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	1
पश्चिम बंगाल	14267	5	2	0	253	16	0	30	0	0	0	0	0	शून्य	0	288	18	0
कुल	**158886**	**5521**	**1633**	**110**	**1607**	**575**	**33**	**720**	**371**	**62**	**414**	**113**	**42**	**0**	**44466**	**8262**	**2692**	**247**

* - विवरण दिया जाना है - वाद संख्या, एफआईआर का वर्ष और वाद दर्ज करने का वर्ष तथा आदेश की तारीख

उपर्युक्त डाटा राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार संकलित किया गया है